तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/4423/2006/बून्दी रंगलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री खडग सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 25.09.2018

अपीलार्थीगण ने यह अपील धारा 23(2) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग), बून्दी द्वारा पारित निर्णय निर्णय दिनांक 09–05–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पिता मोती के विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी, बून्दी द्वारा सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर निर्णय दिनांक 23–11–1974 से सीलिंग कार्यवाही को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय राज्य हितों के प्रतिकूल होना मानते हुए राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम् जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15(2) के तहत पुनः खोला जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 09–05–2006 से 57बीघा 13बिस्वा भूमि अधिग्रहण किये जाने के आदेश पारित किये गये। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/4423/2006/बून्दी रंगलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के पिता को सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान किये बिना उनके पास 127बीघा 13बिस्वा भूमि होना मानते हुए सीलिंग निर्धारण करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि विवादित आराजी अपीलाथीगण की पैत्रिक सम्पत्ति है, जिसमें मोतीलाल के चारों पुत्रों का समान हिस्सा है व प्रत्येक के हिस्से की भूमि को अलग करने के पश्चात् मोतीलाल के खाते में सीलिंग से अधिक भूमि नही है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण के पास धारित भूमि नियत दिनांक को चम्बल कमाण्ड प्रथम ग्रुप की भूमि नहीं थी तथा ना ही उक्त भूमि में नहर है, अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को चम्बल कमाण्ड प्रथम ग्रुप की भूमि होना मान कर गणना करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि निर्धारित दिनांक 1–4–1966 को मोतीलाल के दो पुत्र बालिग थे, जिनको पृथक यूनिट धारण करने का अधिकार था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर सीलिंग कार्यवाही को समाप्त किया जावे।

योग्य उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के पैत्रिक भूमि होने बाबत् पत्रावली में कोई दस्तावेजी साक्ष्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/4423/2006/बून्दी रंगलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। उनका कथन है कि घोषणा पत्र में स्वयं अपीलार्थीगण ने विवादित आराजी को चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के प्रथम ग्रुप की होना अंकित किया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं पारित निर्णय तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के पिता मोती के विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी, बून्दी द्वारा सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर निर्णय दिनांक 23-11-1974 से सीलिंग कार्यवाही को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय राज्य हितों के प्रतिकूल होना मानते हुए राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम् जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15(2) के तहत दिनांक 16-06-1981 को रिओपन किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर भूमिधारी एसेसी को नोटिस तलब किया। भूमिधारी एसेसी को जरिये अधिवक्ता उपस्थित आने के पश्चात् दिनांक 30-08-1984 से 02-08-1985 तक जवाब प्रस्तुत करने हेतु कुल 9 अवसर प्रदान किये गये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने का आधार गलत है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण ने जवाब वर्ष 2006 में 22 वर्ष पश्चात् पेश किया। दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/4423/2006/बून्दी रंगलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	01–04–1966 को मृतक निर्धारिती के परिवार में कुल 7 सदस्य थे परन्तु पुत्रवधु का नाम शामिल होने से संख्या–6 ही मानी जायेगी। अर्थात् परिवार 5+1 का माना जाकर 30 सी के परन्तुक अनुसार 05 स्टैण्र्डड एकड का लाभ अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में दिया गया है, जो उचित है। जहां तक विवादित आराजी के पैत्रिक होने एवं नाबालिग पुत्रों की अलग यूनिट माने जाने का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी के पैत्रिक भूमि होने बाबत् पत्रावली में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में नाबालिग पुत्रों की अलग से यूनिट धारण करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता है। जहां तक अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की यह आपत्ति की अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को चम्बल कमाण्ड प्रथम ग्रुप की भूमि होना मानते हुए गणना करने में विधिक त्रुटि कारित की है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि घोषणा पत्र में स्वयं निर्धारिती ने भूमि चम्बल कमाण्ड क्षेत्र की प्रथम ग्रुप की होना अंकित किया है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने हमारे समक्ष ऐसी कोई ठोस नवीन दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/4423/2006/बून्दी रंगलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09-05-2006 की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	